न्यायालय:-श्रीष कैलाश शुक्ल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

<u>व्य0वादप्रक0</u> <u>क0</u>—64ए / 2016 संस्थित दिनांक 26.02.2015

डमरूलाल उम्र—45 वर्ष पिता स्व0 ददन जाति मेहरा धंधा कृषक, निवासी ग्राम संजारी तहसील बैहर जिला बालाघाट।

....वादी।

विरुद्ध

1.स्खराम उम्र-40 वर्ष पिता र0 बल्लम जाति मेहरा धंधा कृषक,

- 2.गुंड्डा उम्र–38 वर्ष पिता स्0 बल्लम जाति मेहरा धंधा कृषक,
- 3.दुखियाबाई उम्र-50 वर्ष पिता स्0 बल्लम जाति मेहरा धंधा कृषक,
- 4. दुरपतिबाई उम्र—48 वर्ष पिता २० बल्लम जाति मेहरा धंधा कृषक, सभी निवासी ग्राम संजारी तहसील बैहर जिला बालाघाट। 5. म0 प्र0 राज्य तर्फे श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट

पतिवादीगण

-:: <u>निर्णय</u>::-

—:: दिनांक 19.10.2016 को घोषित :

- 1. यह दावा वादग्रस्त संपत्ति मौजा संजारी प.ह.नं.56 तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 39 रकबा 5.09 एकड़ में से 2.79 डिसमिल भूमि के विषय में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत है कि वादी एवं प्रतिवादीगण ग्राम संजारी के निवासी है।
- 3. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 आपस में सगे रिश्तेदार है। वादग्रस्त संपत्ति को बल्लम वल्द हटवाई तथा ददन वल्द हटवाई ने पूर्व में क्रय किया था और इसका वर्तमान खसरा क्रमांक 39/1 है। बल्लम तथा ददन में आधी—आधी राशि का भुगतान कर विवादित भूमि को बखई वल्द घुरसेन से दिनांक 02.03.1960 को क्रय किया था। क्रय करते समय ददन एवं बल्लम ने 250—250/— रुपये कुल 500/— रुपये का

भुगतान किया था परन्तु बल्लम ने बिक्री पत्र मात्र अपर्ने नाम से निष्पादित करवा लिया। दिनांक 27.03.1964 को राजस्व निरीक्षक ने विक्रय पत्र में ददन का नाम न होने से संशोधन पंजी में बल्लम का ही नाम दर्ज किया। इसके पश्चात बल्लम ने कहा था कि वह ददन के पक्ष में आधी भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कर देगा। ददन ने बल्लम को कई बार विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिये कहा लेकिन वह टाल—मटोल करता रहा और उसकी मृत्यु के पश्चात वर्ष 1994 में उसके वारिस प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 ने वादी को विवादित भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी।

- 4. विवादित भूमि पर बल्लम के जीवनकाल में ददन का आधिपत्य आधी भूमि पर था और ददन की मृत्यु के पश्चात भी प्रतिवादीगण की जानकारी में वादी का आधिपत्य उसके पिता(ददन) के मरने के बाद से वर्तमान तक निरंतर चला आ रहा है, इसलिये वादी विरोधी आधिपत्य के आधार पर विवादित भूमि का स्वामी हो चुका है। इस प्रकार वादी के पिता का वर्ष 1960 से विवादित भूमि पर कब्जा था और वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात से वादी का वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य प्रतिवादीगण की जानकारी में होने से वादी को विवादित भूमि का स्वामी घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न किया जावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे।
- 5. स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त शेष अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादी कमांक 01 लगायत 04 ने यह कहा है कि प्रतिवादी कमांक 01 लगायत 04 के पिता बल्लम ने अपनी कमाई से दिनांक 02.03.1960 को 500 / रुपये का भुगतान कर खसरा नंबर 39 रकबा 5.09 एकड़ की भूमि क्य की थी। यह भूमि विकेता बखई एवं उसके भाई पेमल के शामिल खाते की भूमि थी, इसलिये बखई के भाई पेमल ने विकय पर आपत्ति कर व्यवहार न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था। इस व्यवहार वाद में बखई द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा रकबे की भूमि विकय किये जाने के कारण पेमल के हिस्से की भूमि वापस किये जाने संबंधी निर्णय पारित किया गया और पेमल को खसरा क्रमांक 39 रकबा 5.09 एकड़ भूमि में से 2.30 एकड़ भूमि वापस प्राप्त हुई। पेमल ने उपरोक्त 2.30 एकड़ भूमि जेठू वल्द सुक्कू को विकय कर दी और संशोधन पंजी दिनांक 23.04.1980 के अनुसार राजस्व अभिलेख में वह भूमि केता जेठू के नाम पर दर्ज कर दी गई और शेष भूमि जो खसरा नंबर 39 / 1 की 2.79 एकड़ भूमि थी वह

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के पिता बल्लम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई एवं वह अपने जीवनकाल में उस पर मालिक काबिज होकर कृषि करता था।

बल्लम एवं ददन सर्गे भाई थे जिनकी ग्राम संजारी में अन्य पैतृक भूमि थी जिसपर वे लोग संयुक्त रूप से कृषि करते थे। खसरा नंबर 39/1 रकबा 2.79 एकड़ की भूमि बल्लम की मृत्यु के पश्चात उसके वारसानों प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के नाम पर दर्ज हुई परन्तु पैतृक भूमि न होने से इसमें वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया। वादी के पिता ददन एवं प्रतिवादीगण के पिता बल्लम के बीच पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था और मौके पर उनके आधिपत्य के मान से वे लोग कृषि कार्य करते चले आ रहे थे। वर्ष 2014 में बल्लम एवं ददन के वारिसों के बीच तहसीलदार बैहर द्वारा बंटवारा आदेश पारित किया गया और खसरा नंबर 39/1 रकबा 2.79 एकड़ भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के पिता बल्लम की स्व-अर्जित संपत्ति होने से इसका बंटवारा वादी को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिये वादी अनावश्यक विवाद करने लगा और उपरोक्त भूमि पर अपना हिस्सा मांगने लगा। विवादित भूमि पर बल्लम का कब्जा था और बल्लम की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 का कब्जा है जिसपर वह कृषि कार्य करते है परन्तु वादी विवादित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर हिस्सा प्राप्त करना चाहता है। यदि वादी के पिता ने अपने भाई के साथ विवादित भूमि आधी-आधी क्य की होती तो पूर्व में प्रस्तुत व्यवहार वाद में भी वादी के पिता ददन द्वारा न्यायालयीन कार्यवाहियों में भाग लिया जाता और निर्णय में भी वादी के पिता तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के पिता का नाम संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाता परन्तु व्यवहार न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर 2.79 एकड़ की भूमि का स्वत्व प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के पिता बल्लम को निर्णित किया गया। वादी द्वारा मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से यह दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा यदि वर्ष 1994 में वादी को कृषि करने से रोका गया था तो उसने इस संबंध में कोई दावा या आपत्ति वर्तमान समय तक क्यों प्रस्तुत नहीं की इसका स्पष्ट कारण वादी ने उल्लेख नहीं किया है। विवादित भूमि पर न तो वादी का स्वत्व है और न ही आधिपत्य है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत दावा निरस्त किया जावे।

7. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख उसके निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा संजारी प.इ.नं.56, तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित खसरा नंबर 39/1 रकबा 1.129 है0 भूमि में से आधा भू—भाग 1.40 एकड़ भूमि पर वादी का दिनांक 02.03.1960 से लगातार शांतिपूर्वक, निर्बाध रूप से प्रतिवादी क्मांक—01 से 04 की जानकारी में विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है ?	
2	क्या उक्त विवादित भूमि का प्रतिवादी क्रमांक—01 से 04 के द्वारा अवैध रूप से विक्रय किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ?	
3	सहायता एवं खर्च ?	कंडिका क्रमांक 14 के अनुसार

वादप्रश्न क्र01 का निष्कर्षः-

7. इस वादप्रश्न को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी डमरूलाल वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्रीय साक्ष्य में यह कहा है कि वह स्वयं एवं प्रतिवादीगण ग्राम संजारी के निवासी है। प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 उसके सगे रिश्तेदार है। उसके आधिपत्य की भूमि जो खसरा क्रमांक 39 की 2.79 एकड़ की भूमि है, उसे उसके पिता ददन ने अपने भाई बल्लम के साथ संयुक्त रूप से खरीदी थी और खरीदते समय आधी—आधी राशि का भुगतान दोनों भाईयों ने किया था। इस प्रकार 250—250 रुपये का भुगतान कर विवादित भूमि दिनांक 02.03.1960 को 500/—रुपये में क्रय की गई थी। क्रय करने के पश्चात प्रतिवादीगण के पिता बल्लम ने विवादित भूमि का विक्रय पत्र मात्र अपने नाम से निष्पादित करवा लिया। वर्ष 1964 में ही विक्रय पत्र के आधार पर संशोधन पंजी के द्वारा बल्लम का नाम वर्ष 1964 में राजस्व अभिलेख दर्ज करा दिया गया। इसके पश्चात से वादी के पिता ददन ने बल्लम को आधी भूमि का विक्रय पत्र उसके नाम पर निष्पादित

करने के लिये कहा परन्तु वह टाल—मटोल करता रहा। उपरोक्त वर्णित भूमि में 1. 40 एकड़ भूमि पर ददन का उसकी मृत्यु होने तक कब्जा बना रहा और उसकी मृत्यु के पश्चात से वादी का कब्जा लगातार चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 ने दिनांक 19.06.94 को वादी को जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि वे विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर लेंगे। इस प्रकार वर्ष 1960 से लगातार वादी के पिता का कब्जा था और वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात वादी का कब्जा लगातार चला आ रहा है जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को है। ऐसी स्थित में वादी विवादित भूमि का विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वामी हो चुका है।

- 8. विवादित भूमि के संबंध में खसरा फार्म पी—2 वर्ष 2014—15 प्र.पी.01 दस्तावेज वादी ने प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नंबर 39/1 के 1.129 हेक्टेयर भूमि सुखराम, गुड्डा वल्द बल्लम, गिरियाबाई बेवा बल्लम, दुखियाबाई, दुपति वल्द बल्लम के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज होना दर्शित है। उपरोक्त भूमि का नक्शा प्रिंट आउट प्र.पी.02 दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। अधिकार अभिलेख पंजी वर्ष 1954—55 प्र.पी.03 वादी ने प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नंबर 39 रकबा 5. 09 एकड़ की भूमि बखई के नाम पर दर्ज होना लेख है। संशोधन पंजी वर्ष 1960 प्र.पी.04 के अनुसार बल्लम वल्द हटवाई का नाम सर्वे क्रमांक 39 रकबा 5.09 है0 भूमि पर दर्ज होना एवं कब्जा दिया जाना दर्शित है।
- 9. वादी डमरूलाल वा.सा.01 के कथनों का समर्थन वादी साक्षी रूपलाल वा.सा.02 तथा चमरूलाल वा.सा.03 ने किया है और कहा है कि विवादित भूमि पर वादी के पूर्व वादी के पिता का आधिपत्य था और वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात से वादी का कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि बल्लम एवं ददन ने वर्ष 1960 में क्रय की थी परन्तु विक्रय पत्र मात्र बल्लम ने अपने नाम पर निष्पादित करा लिया था। वादी डमरूलाल वा.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में अपनी आयु 48 वर्ष होना कहा है और यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि का बंटवारा वर्ष 2014 में हुआ था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि बल्लम ने विवादित भूमि का संपूर्ण रकबा 5.09 एकड़ क्रय किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि पर उसका अथवा उसके पिता का पूर्व में कब्जा था इस बाबद कोई भी राजस्व अभिलेख जिसमें यह इंद्राज हो दुरूस्त नहीं कराया गया है। वादी साक्षी रूपलाल वा.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जब विवादित भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित हुआ था तब उसकी आयु 02 वर्ष थी। जबकि वादी साक्षी च्रमरूलाल वा.सा.03 ने कहा है कि विवादित भूमि के संबंध

में निष्पादित विक्रय पत्र उसने नहीं देखा है। वादी साक्षी चमरूलाल वा.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि विवादित भूमि को वादी के पिता या प्रतिवादी के पिता ने वर्ष 1960 में क्रय की थी। उपरोक्त साक्षियों के कथनों से विवादित भूमि पर वर्तमान में वास्तविक भौतिक कब्जा वादी का होने की धारणा नहीं की जा सकती।

- प्रतिवादी सुखराम प्र.सा.01 ने अपने शपथ पत्रीय साक्ष्य में यह कहा है कि विवादित भूमि को उसके पिता बल्लम ने अपनी कमाई से 500/- रुपये प्रतिफल देकर विकेता बखई से क्य किया था परन्तु बखई द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्रय कर देने से व्यवहार न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर बखई के भाई पेमल को 2.30 एकड़ भूमि वापस करवाई गई जिसे उसने जेठू वल्द सुक्कू को विक्रय कर दी। उपरोक्त खसरा क्रमांक 39/1 रकबे में से शेष रकबा 2.79 एकड़ की भूमि प्रतिवादी सुखराम के पिता बल्लम के नाम पर दर्ज हुई। वादी के पिता ददन तथा उसके पिता बल्लम के मध्य खानदानी भूमि का बंटवारा नहीं हुआ था इसलिये तहसीलदार बैहर द्वारा दिनांक 22.12.2014 को विधिवत बंटवारा आदेश पारित किया गया परन्तु खसरा नंबर 39/1 रकबा 2.79 एकड़ की भूमि उसके पिता की स्व-अर्जित भूमि होने से उस भूमि का बंटवारा नहीं किया गया। वादी उपरोक्त भूमि पर भी अपना हिस्सा मांगना चाहता है और बलपूर्वक विवादित भूमि पर कब्जा करना चाहता है इसलिये उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष झुठा दावा प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि के स्वत्व को सिद्ध करने के लिये विक्रय पत्र दिनांक 02.03.1960 प्र.डी.01 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। प्र.डी.01 में बखई वल्द घुरसेन द्वारा बल्लम पिता हटवई को 500 / – रुपये प्रतिफल प्राप्त कर सर्वे कमांक 39 की रकबा 5.09 एकड़ भूमि विकय किया जाना दर्शित है। राजस्व अभिलेख खसरा किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2014-15 प्र.डी.02, खसरा फार्म पी.-2 वर्ष 2014-15 प्र.डी.03 एवं खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2014-15 प्र.डी.04 तथा खसरा किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2014-15 प्र.डी.05 में सर्वे क्रमांक 39/1 रकबा 1.259 हे0 की भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज होना दर्शित है।
- 11. प्रकरण में वादी की ओर से जिन साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण हुआ है, उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि का सर्वे क्रमांक अथवा रकबा क्या है उसकी उन्हें पूर्णतः जानकारी नहीं है। विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के पिता ने पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी, यह प्र.डी.01 के दस्तावेज से प्रमाणित है और इसमें प्रतिवादीगण

के पिता बल्लम वल्द हटवाई को कब्जा दिया जाना भी दर्शित है। इसके अतिरिक्त वादी के दस्तावेजों पर विचार किया जावे तो प्र.पी.04 एवं प्र.पी.05 संशोधन पंजी में इस बात का उल्लेख है कि बिकीदार बखई ने बल्लम जो कि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 का पिता है, को विवादित भूमि का कब्जा दिया था। इस प्रकार विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के पिता बल्लम की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण के कब्जे की होना प्रकट हो रही है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायदृष्टांत <u>मुक्तद्वारा साहब</u> विरूद्ध ग्राम पंचायत ग्राम सिरथला व अन्य 2014 (3) एम पी एल जे 36 में यह अवधारित किया है कि ''विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (1963 का 47), धारा 34 एवं परिसीमा अधिनियम (1963 का 36), धारा 27 एवं अनुच्छेद 64 से 66-प्रतिकूल कब्जा-प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक की कोई भी घोषणा नहीं चाही जा सकती-यद्यपि वादी का कब्जा प्रतिकूल पाया जाता है तो भी इस आशय की घोषणा का अनुरोध नहीं किया जा सकता कि ऐसा प्रतिकूल कब्जा स्वामित्व में परिपक्व हो गया है-केवल प्रतिकूल कब्जे में पाये गये व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाहियाँ दायर की जाती, तब वह उसके प्रतिकूल कब्जे को कवच प्रतिरक्षा के रूप में प्रयोग में ला सकता है।" इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित कर दिया है कि विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वामित्व की कोई भी घोषणा नहीं चाही जा सकती। उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में वादी को विवादित भूमि के विरोधी आधिपत्य में होने के अभिवचनों के आधार पर विवादित भूमि का स्वामी घोषित नहीं किया जा सकता। अतः वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

वादप्रश्न क 02 का निष्कर्षः-

13. वादप्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष में यह प्रमाणित नहीं पाया गया है कि वादग्रस्त भूमि का वादी स्वामी है। प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि के स्वत्व के विषय में प्र.डी.01 का विक्रय पत्र दिनांक 02.03.1960 दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। इस दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के पिता बल्लम की मृत्यु के पश्चात यह संपत्ति संयुक्त रूप से प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 की होना मानी जावेगी इसलिये यदि वे उसे विक्रय करते है तो इसे विधि—विरूद्ध नहीं माना जावेगा, इसलिये यह भी नहीं माना जा सकता कि

प्रतिवादीगण विवादित संपत्ति विक्रय करने का अवैध रूप से प्रयास कर रहे है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

सहायता एवं खर्च:-

- 14. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है। अतः वादग्रस्त संपत्ति मौजा संजारी प.ह.नं.56 तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 39 रकबा 5.09 एकड़ में से 2.79 डिसमिल भूमि के संबंध में स्वत्व घोषण एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है एवं निम्न आज्ञप्ति पारित की जाती है:—
- 1. वादी वादग्रस्त संपत्ति मौजा संजारी प.ह.नं.56 तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 39 रकबा 5.09 एकड़ में से 2.79 डिसमिल भूमि के विषय में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
 - 2.वादी अपना तथा प्रतिवादीगण का वादव्यय वहन करेगा।
 - 3.अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही / —
(श्रीष कैलाश शुक्ल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बैहर व्यवह

सही / — (श्रीष कैलाश शुक्ल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बैहर